ओम्बड्समैन स्कीम - गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए, 2018 : मुख्य विशेषताए

स्कीम के दायरे में शामिल हैं

ग्राहकों से डिपॉज़िट लेने के लिए मान्यता प्राप्त सभी NBFC NBFC की संपत्तियाँ >= रु.100 करोड़ + ग्राहकों के साथ लेनदेन के आकार के साथ (शामिल नहीं हैं: इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनान्स कम्पनियाँ, कोर इन्वेस्टमेन्ट कम्पनियाँ, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड और NBFC जोकि लिक्विडेशन की प्रक्रिया में हैं)

ग्राहक किन कारणों से शिकायत दर्ज कर सकते हैं:

- ब्याज / जमा राशि का भुगतान नहीं किया गया या विलंब से किया गया
- चेक नहीं जमा किया गया या विलंब से किया गया
- ऋण की स्वीकृत राशि, नियमों एवं शर्तों, सालाना ब्याज दर आदि के बारे में जानकारी नहीं दी गई
- एग्रीमेंट के नियमों में बदलाव, शुल्कों के लगने के बारे में नोटिस नहीं दिया गया
- कॉन्ट्रैक्ट / लोन एग्रीमेंट में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने में नाकामी
- सेक्युरिटीज / डॉक्युमेन्ट्स वापस करने में नाकामी / विलंब
- पुनः पोजेशन देने में नाकामी, जोकि कॉन्ट्रैक्ट / लोन एग्रीमेन्ट में अंतर्निहित और कानूनी तौर पर लागू किए जाने योग्य है
- NBFC ने RBI के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है
- उचित अभ्यासों में आचार संहिता के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया

ग्राहक कैसे शिकायत दर्ज कर सकता है?

सम्बन्धित NBFC को लिखित आवेदन देकर महीने के अन्त में अगर NBFC से जवाब नहीं मिला या ग्राहक NBFC के जवाब से सन्तुष्ट नहीं है अगर ग्राहक ने किसी फोरम से संपर्क नहीं किया

NBFC ओम्बड्समन से शिकायत कर सकता है (NBFC से जवाब मिलने के बाद एक साल के अन्दर करना होगा)

ओम्बड्समन किस आधार पर निर्णय लेता है?

- ओम्बड्समन के समक्ष संक्षिप्त रूप में कार्यवाही होगी
- सुलह से समस्या के समाधान को बढ़ावा दिया जाएगा → यह न होने पर, निर्णय/आदेश दिया जा सकता है

क्या ओम्बड्समन के निर्णय से, असन्तुष्ट ग्राहक किसी से अपील कर सकता है?

जी हाँ, ओम्बड्समन के निर्णय के खिलाफ अपील की जा सकती है → अपील अधिकारीः डिप्युटी गवर्नर, RBI

नोटः

- यह एक समस्या समाधान की वैकल्पिक व्यवस्था है
- ग्राहक समस्या के समाधान के लिए किसी भी अन्य स्टेज़ पर किसी भी अन्य न्यायालय / फोरम / प्राधिकरण के समक्ष जा सकता हैं

स्कीम के अन्य विवरणों के लिए www.rbi.org.in को देखें